निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश संख्याः सेवायें–3(4)/ 294 /स्था0 /2022–23 दिनांक 05 जुलाई, 2022

विज्ञप्ति/स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 18(3) के प्राविधानों तथा उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–124/XXX–2–22–30(13)2017 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 दिनांक 08 अप्रैल, 2022 में दिये गये निर्देशों के क्रम में महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के अनुमोदनोपरान्त तत्काल प्रभाव से निम्नांकित मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों (वेतनमान रू0 56100–177500 लेवल–10) का उसी पद एवं वेतनमान में निम्नांकित विवरणानुसार उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–4 में अंकित कार्यालय/संस्था में उनके अनुरोध पर निजी व्यय पर पारस्परिक स्थानान्तरण किया जाता है। स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 22 में दिये गये व्यवस्थानुसार सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/संस्थाध्यक्ष स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करते हुए स्थानान्तरित कार्मिक एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे, तथा कार्यमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे। स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा–24 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

क्र0 सं0	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का नाम	वर्तमान कार्यरत संस्था	नवीन तैनाती स्थल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री मोहन लाल	कार्या0 खण्ड शिक्षा अधिकारी सहसपुर, देहरादून(सुगम)	कार्या0 उप शिक्षा अधिकारी, चकराता, देहरादून (दुर्गम)	क्रमांक 02 के प्रति निजी व्यय पर
2	श्री बीरेन्द्र	कार्या0 उप शिक्षा अधिकारी, चकराता, देहरादून (दुर्गम)	कार्या0 खण्ड शिक्षा अधिकारी सहसपुर, देहरादून (सुगम)	क्रमांक 01 के प्रति निजी व्यय पर

(बन्दना गर्ब्याल) 05/07/2022
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृष्ठांकन संख्याः सेवायें–3(4)/ 6022-6028 /2022–23 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर निदेशक, (प्रा.शि./मा.शि.) गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
5. मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद।

6. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि./मा.शि.) सम्बन्धित जनपद।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद।
8. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा सम्बन्धित जनपद।
9. खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0, सम्बन्धित विकासखण्ड।
10. सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि स्थानान्तरित कार्मिक को तत्काल कार्यमुक्त करते हुए कार्यमुक्त कार्मिक एक सप्ताह के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें तथा कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण की सूचना निदेशालय को उसी दिवस को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
11. एम0आई0एस0 प्रभारी को इस निर्देश के साथ उक्त आदेश तत्काल विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
12. सम्बन्धित कार्मिक।
13. कार्यालय गार्ड फाईल।

05/7/2022

(एम0एस0 बिष्ट)
उप निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड